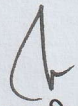


Recommendation of DFO

1. वन मण्डल सिंगरौली के अंतर्गत प्रस्तावित वन भूमि 4.9627 हे० वन परिक्षेत्र पश्चिम सरई का कक्ष क्र० RF 235, 236, 237, 246, 244, 245, 234, 681, 247, 252, 578, 233, 239, 229, 230 आरक्षित वन भूमि है PF 664, 210, 209, 208, 207, 206, 213, 211, 219, 220, 221, 201, 202, 665, 115, 114, 116, 120, 121, 119 संरक्षित वनभूमि है।
2. वन मण्डल सिंगरौली के अंतर्गत प्रस्तावित वन भूमि 4.9627 हे० वन संरक्षण अधिनियम 1980 (2) नियम 2003 के तहत महाप्रबंधक जल निगम मर्यादित परियोजना ई० सिंगरौली, ग्रामीण जल प्रदाय योजन अन्तर्गत वन भूमि पर पाईप लाइन बिछाने का प्रस्ताव है।
3. वन मण्डल सिंगरौली अन्तर्गत प्रस्तावित वन भूमि कक्ष क्रमांक RF 684, 689 एवं PF 653, 654, 705, 708, 606, 655, 657, 643 वन मण्डल के प्रचलित कार्य आयोजना के अनुसार हाथी कोरीडोर में सम्मिलित है।
4. वन मण्डल की कार्य आयोजना में हाथी कोरीडोर के संबंध में निम्नानुसार प्रावधान किया गया है।

(अ) 2.47 (9)– कोरीडोर में किसी भी प्रकार का कार्य जिससे कॉरीडोर की निरंतरता में व्यावधान उत्पन्न होता हो जैसे स्थायी भवन निर्माण, डिपो की स्थापना, लेबर कैम्प की स्थापना तथा अन्य स्थाई निर्माण कार्य आदि नहीं किये जावेंगे।

(ब) 2.47(10)– कोरीडोर में स्थित कक्षों को यथा संभव गैर वानिकी उपयोग हेतु हस्तान्तरित नहीं किया जाये। यदि ऐसा करना अवश्यभावी हो तो सर्वप्रथम वैकल्पिक कॉरीडोर की स्थापना की जाये।
5. कार्य आयोजना के उक्त प्रावधान एवं अन्य (1–18) का पालन सुनिश्चित करने की शर्त पर स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है, एवं अनाधिकृत अतिक्रमित क्षेत्र में पानी की पाईप लाईन बिछाने की अनुशंसा नहीं की जाती है।


(मधु व्ही० राज)
वन मण्डल अधिकारी
वन मण्डल सिंगरौली